

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत की राजपत्र The Gazette of India

सं. 91)
No. 91]

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II-Section 3 -
Sub-section (1) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014 / फाल्गुन
9, 1935

वाणिज्य और उद्योग
मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन
विभाग)

अधिसूच
ना

नई दिल्ली, 28 फरवरी,
2014

सा.का.नि. 125 (अ). पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित कतिपय प्रारूप नियम, अर्थात् पेटेंट (संशोधन) नियम, 2013 को ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थी, पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 286 (अ), तारीख 6 मई,

2013 द्वारा प्रकाशित किए
गए थे;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ तारीख 12 जून, 2013 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

हुए,

1.

(1)

इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम,
2014 है ।

(2)

ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त
होंगे।

2.

पेटेंट नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

868G1/2014

(1)

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)
]

'(क) "प्रकृत व्यक्ति से भिन्न" में "लघु अस्तित्व" शामिल होगी।'

3.

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

'(we) "लघु अस्तित्व" से निम्न अभिप्रेत है- (i) वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन लगे हुए किसी उद्यम के मामले में,

एक उद्यम जहाँ संयंत्र और मशीनरी में किया गया निवेश "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006

का 27) " की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन मध्यम उद्यम के लिए निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो; और

(ii) सेवा प्रदान या उपलब्ध कराने वाले किसी उद्यम के मामले में, एक उद्यम जहाँ उपस्कर में किया गया निवेश "सूक्ष्म, लघु

और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन मध्यम उद्यम के लिए निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण : 1. इस खंड के प्रयोजन के लिए, "उद्यम" से ऐसा कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई व्यावसायिक समुत्थान या कोई

अन्य स्थापन अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951

(1951 का 65) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में, किसी रीति से लगा हुआ है या किसी ऐसे उद्योग में कोई सेवा या सेवाओं को उपलब्ध कराने या उन्हें प्रदान कराने में लगा हुआ है।

स्पष्टीकरण: 2. - संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश की संगणना में प्रदूषण नियंत्रण, शोध और विकास, औद्योगिक सुरक्षा

उपकरण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: 3. भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की निर्देश दर अभिभावी होगी।

मूल नियम के नियम 7 में - उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(i) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपबंधों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"परन्तु यह कि जब कोई पेटेंट के लिए आवेदन या अन्य कोई दस्तावेज भौतिक रूप में अर्थात् मुद्रित प्रति के

रूप विधान में फाइल किया जाता है, तो दस प्रतिशत अतिरिक्त

फीस संदेय होगा।

परन्तु यह और कि किसी लघु अस्तित्व के संदर्भ में प्रत्येक दस्तावेज़, जिसके लिए कोई फीस विहित है, प्ररूप-28 के साथ संलग्न होगा। "

4.

(ii) (3क) किसी लघु अस्तित्व द्वारा प्रक्रियागत आवेदन को पूर्णतः या अंशतः किसी प्रकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (लघु अस्तित्व के सिवाय) को हस्तांतरित करने की स्थिति में उसी मामले में किसी लघु अस्तित्व से प्रभारित फीस (फीसों) और किसी प्रकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति (लघु अस्तित्व के सिवाय) से प्रभार्य फीस (फीसों) के परिमाण में अंतर, यदि कोई हो, का भुगतान नए आवेदक द्वारा हस्तांतरण के अनुरोध के साथ किया जाएगा

मूल नियम के नियम 55 के उप-नियम (1) में "फाइल किए जाएंगे" शब्द के पश्चात् "प्ररूप 7 (क) में" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किये जाएंगे।

5.

मूल नियम की पहली अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

[भाग II - खण्ड 3(1)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

*पहली
अनुसूची
(नियम 7 देखें)

3

फीस

प्रविष्टि
संख्यांक

जिस पर संदेय है

सुसंग
त

ई-फाइलिंग के
लिए

भौतिक रूप में फाइल करने के लिए

प्ररूप
संख्यांक

प्रकृत व्यक्ति या तो अकेले या प्रकृत (व्यक्तियों) के | व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ लिए संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति

प्रकृत
व्यक्ति
(व्यक्ति
यों)

या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत

(व्यक्तियों) से भिन्न व्यक्ति

के लिए
दस

व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न

के लिए

प्रतिशत

व्यक्ति के लिए दस प्रतिशत

अतिरिक्त

अतिरिक्त
फीस

लघु

लघु
अस्तित्व

फीस

अस्तित्व

के अतिरिक्त

लघु
अस्तित्व
के

लघु
अस्तित्व

के लिए

अन्य के
लिए

लिए

के अतिरिक्त अन्य के लिए

1.

2

अनंतिम / सम्पूर्ण
विनिर्देश के

साथ धारा 7, धारा 54

3

5

6

7

8

9

रुपए

रुपए

रुपए

रुपए

रुपए

रुपए

1

1

1600

4000

8000

1760

4400

8,800

प्रत्येक
गुणज

प्रत्येक

प्रत्येक

प्रत्येक

प्रत्येक

प्रत्येक

और धारा 135 और

पूर्विकता
की

गुणज

गुणज

गुणज

गुणज

गुणज

नियम 20(1) के
अधीन

दशा में

पूर्विक
ता

पूर्विकता
की

पूर्विकता

किसी पेटेंट के लिए
आवेदन

पर -

(i) 30 के अतिरिक्त
प्रत्येक

विनिर्देश पने के
लिए;
(ii) 10 के अतिरिक्त
प्रत्येक

1600 के

की दशा में

दशा में

दशा में

की दशा में

की दशा में

गुणजों
में

4000 के

8000 के

1760 के

4400 के

गुणजों
में

गुणजों
में

8,800 के

गुणजों
में

गुणजों
में

(1) 160

(i) 400

(1) 800

(1).176 .

गुणजों
में

(i) 440

(i) 880

(ii) 320

(ii) 800

(ii) 1,600

(ii) 352

(ii) 880

की

पूर्वोक्त
ता

पूर्वोक्त
ता

(ii) 1760

दावे के
लिए।

2.

अनंतिम विनिर्देश के

2

कोई फीस

पश्चात् सम्पूर्ण
विनिर्देश

नहीं

कोई फीस नहीं

कोई फीस

कोई
फीस

कोई फीस

कोई
फीस

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

फाइल करने पर 30
पृष्ठ
तक जिसमें 10 दावे
तक हों

(i) 30 के अतिरिक्त
प्रत्येक
विनिर्देश पने के लिए;

(i) 160

(i) 400

(i) 800

(0) 176

(1) 440

(ii) 10 के
अतिरिक्त

(i) 880

प्रत्येक दावे के लिए
के।

(ii) 320

(ii) 800

(ii) 1600

(ii) 352

(ii) 880

(ii) 1760

3.

धारा 8 के अधीन विवरण

3

कोई
फीस

कोई
फीस

कोई
फीस

कोई फीस

कोई फीस

कोई
फीस

और वचनबन्ध फाइल
करने

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

पर।

धारा 53(2) और धारा

4

480

1200

2400

528.

1320

142 (4), नियम 13
(6),

प्रति मास

प्रति मास प्रति
मास

प्रति मास

प्रति मास

2640 प्रति मास

नियम 80 (1क) और
नियम
130 के अधीन समय
विस्तार के अनुरोध
पर

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(1)
]

नियम 13 (6) के अधीन

5

कोई फीस
कोई फीस
कोई फीस
कोई फीस
कोई फीस
कोई फीस
कोई फीस

आविष्कारवृत्ति के हैसियत

नहीं
नहीं
नहीं
नहीं
नहीं
नहीं
नहीं

में घोषणा फाइल करने पर।

6.

अगली तारीख के लिए

800
2000
4000
880
2200
4400

आवेदन पर ।

7.

धारा 19 (2) के अधीन

800
2000
4000
880
2200
4400

निर्देश को हटाने के लिए
आवेदन पर।

8.

(i) धारा 20(1) के अधीन

6
800
2000
4000
880
2200
4400

दावे पर

(ii) धारा 20(4) या धारा

20(5) के अधीन निदेश के	800	2000	4000	880	2200	4400
लिए अनुरोध पर ।	6					
9. (i) धारा 25(1) के अधीन	7क	कोई फीस	कोई फीस	कोई फीस	कोई फीस	कोई फीस
पेटेंट अनुदान का विरोध	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
करने के लिए आवेदन फाइल करने पर ;						
(ii) धारा 25 (2) के अधीन	7	2400	6000	12000	2640	6600
पेटेंट को मंजूर करने का विरोध की सूचना						13200

पर ।									
10.	नियम 62 (2) के अधीन यह	1500	3750	7500	1650	4125	8250		
	सूचना देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा।								
11.	धारा 28(2), धारा 28 (3)	8	800	2000	4000	880	2200	4400	
	या धारा 28 (7) के अधीन आवेदन पर ।								
12.	धारा 11क (2) और नियम,	9	2500	6250	12500	2750	6875	13750	
	24क के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध !								
13.	आवेदन के प्रकाशन के पूर्व	1600	4000	8000	1760	4400	8800		
	धारा 11ख (4) और								

14.

(क) धारा 11ख और नियम

अधीना

15.

धारा 44 के अधीन पेटेंट के

परा

16.

धारा 51 (1) या धारा

51 (2) के अधीन
निदेश के
लिए आवेदन पर

|

17.

धारा 26 (1) या धारा

12

2400

6000

12000

2640

6600

13200

52 (2) के अधीन

पेटेंट

मंजूर करने के लिए

अनुरोध

पर

II-खण्ड 3 (1)

]

भारत का राजपत्र : असाधारण

5

:

18.

धारा 55 (1) के अधीन

पेटेंट

2400

6000

12000

2640

6600

13200

के परिवर्धन को एक

स्वतंत्र

पेटेंट में संपरिवर्तित

करने

के अनुरोध

पर।

19.

धारा 53 के अधीन पेटेंट के

नवीनीकरण

हेतु-

(i)

पेटेंट की तारीख से

दूसरे

800

2000

4000

880

2200 4400

वर्ष की समाप्ति
से पूर्व
तीसरे वर्ष की
बाबत;

(ii) तीसरे वर्ष की समाप्ति
से

800 2000 4000 880 2200 4400

पूर्व चौथे वर्ष की
बाबत;

(iii) चौथे वर्ष की समाप्ति
से पूर्व

800 2000 4000 880 2200 4400

पांचवे वर्ष की बाबत;

(iv) पांचवे वर्ष की समाप्ति
से

800 2000 4000 880 2200 4400

पूर्व छठे वर्ष की
बाबत;

(v) छठे वर्ष की समाप्ति से
पूर्व

2400 6000 12000 2640 6600 13200

सातवें वर्ष की
बाबत:

(vi)

सातवें वर्ष की समाप्ति
से

2400
6000
12000
2640
6600
13200

पूर्व आठवें वर्ष की
बाबत;

(vii)

आठवें वर्ष की
समाप्ति से

2400
6000
12000
2640
6600
13200

पूर्व नवें वर्ष की
बाबत;

(viii)

नवें वर्ष की समाप्ति
से पूर्व

2400
6000
12000
2640
6600
13200

दसवें वर्ष की
बाबत;

(ix)

दसवें वर्ष की समाप्ति
से पूर्व

4800
12000
24000
5280
13200
26400

ग्यारहवें वर्ष की
बाबत;

(x)

ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति
से

4800
12000
24000
5280
13200

पूर्व बारहवें वर्ष की
बाबत;

बारहवें वर्ष की समाप्ति से.

26400

तेरहवें वर्ष की
समाप्ति से

26400

चौदहवें वर्ष की समाप्ति से

26400

पन्द्रहवें वर्ष की
समाप्ति से

44000

(xv)

सोलहवें वर्ष की
समाप्ति से

8000 20000 40000 8800 22000 44000

पूर्व सतरहवें वर्ष की
बाबत;

(xvi)

सतरहवें वर्ष की
समाप्ति से

8000 20000 40000 8800 22000 44000

पूर्व अठारहवें वर्ष
की

बाबत:

(xvii)

अठारहवें वर्ष की
समाप्ति से

8000 20000 40000 8800 22000 44000

पूर्व उन्नीसवें वर्ष की
बाबत;

(xviii)

उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति
से

8000 20000 40000 8800 22000 44000

पूर्व बीसवें वर्ष की
बाबत।

868 4/14-2

20.

धारा 57 के अधीन पेटेंट के
लिए आवेदन /
सम्पूर्ण

13

विनिर्देश/अन्य संबद्ध
दस्तावेजों के संशोधन
के
लिए आवेदन पर
-

(i)

पेटेंट मंजूर करने से
पूर्व;

800

2000

4000

880

2200

4400

(ii)

पेटेंट मंजूर करने के
पश्चात्

1600

4000

8000

1760

4400

8800

(iii)

जहाँ संशोधन
नाम/पता/

320

800

1600

352

880

1760

राष्ट्रीयता / सेवार्थ
पता में
संशोधन होना
है।

21.

धारा 57(4), धारा (61) 1

14

2400

6000

12000

2640

6600

13200

और धारा 87 (2) के

अधीन
किसी आवेदन के विरोध या
धारा 63(3) के अधीन
पेटेंट
के अभ्यर्पण या धारा -
78 (5) के अधीन
अनुरोध
की सूचना
पर

22.

धारा 60 के अधीन पेटेंट के

23.

प्रत्यावर्तन के लिए
आवेदन
पररा
प्रत्यावर्तन के
लिए
अतिरिक्त फीस
।

24.

धारा 63. के अधीन पेटेंट के

अभ्यर्पण की प्रस्थापना
की
सूचना पर।

25

25.

ધારા 69 (1) યા ધારા 16

					4400	8800
	(प्रत्येक पेटेंट	(प्रत्ये क	(प्रत्येक	(प्रत्येक	(प्रत्येक	(प्रत्येक
	की बाबत)	पेटेंट की	पेटेंट की	पेटेंट की	पेटेंट की	पेटेंट की
		बाबत)	बाबत)	बाबत)	बाबत)	बाबत)
69 (2) और नियम 90(1) या नियम 90 (2) के अधीन						
किसी व्यक्ति के किसी पेटेंट या उसके अंश के हकदार या बन्धकदार के रूप में या किसी व्यक्ति के अनुज्ञसिधारी के रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज़ की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर						
26.	नियम 94 (1) या नियम	320	800	1600	352	880

118 (1) के अधीन पेटेंट
रजिस्टर या पेटेंट

27. अभिकर्ता रजिस्टर में किसी
प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन
पर ।

नियम 94 (3) के
अधीन पेटेंट रजिस्टर
में किसी
अतिरिक्त सेवार्थ पते की
प्रविष्टि करने के
लिए
अनुरोध
पर।

1

800
2000
4000
880
2200
4400

[भाग II-खण्ड 3 (i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

28. धारा 84 (1), धारा 91

17
2400
6000
12000
2640
6600
13200

(1), धारा 92 (1) और
धारा 92क के अधीन
अनिवार्य अनुज्ञप्ति
के लिए
आवेदन पर ।

29. धारा 85 (1) के अधीन पेटेंट
19

2400
6000
12000
2640
6600
13200

के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन पर ।

30. धारा 88 (4) के अधीन

20 2400 6000 12000 2640 6600 13200

अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर।

31. धारा 94 के अधीन

21 2400 6000 12000 2640 6600 13200

अनिवार्य अनुशति की समाप्ति के लिए अनुरोध पर।

32. नियम 109 (1) या नियम

22. 3200 3520

112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर।

33. नियम 109 (3) के अधीन

		1600		1760
	अर्हक परीक्षा में बैठने के लिए अनुरोध पर ।			
34.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए- (i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ	800		880
	संदत की जानी वाली; (ii) प्रत्येक वर्ष के लिए	800		880
	पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को संदत की जाने वाली।			
35.	नियम 111क के अधीन	1600		1760
	पेटेंट अभिकर्ता के द्वितीय प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पर ।			
36.	नियम 117 (1) के अधीन	23	1600	
	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर			

मैं किसी व्यक्ति के नाम के

प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन

परा

1760 (योग
प्रविष्टि
संख्यांक 34
के अधीन

निरंतरता
फीस)

धारा 78 (2) के
अधीन

2000

880

4400

7

38.

धारा 77 (1) (च) या धारा
77(1) (छ) के अधीन

24

1600

4000

8000

1760

4400

8800

नियंत्रक के विनिश्चय या
आदेश के
पुनर्विलोकन या
उसे अपास्त करने के
लिए
आवेदन पर।

39.

धारा 39 और नियम

25

1600

4000

8000

1760

4400

8800

71(1) के अधीन भारत
से
बाहर पेटेंट के आवेदन
के
लिए अनुज्ञा हेतु
आवेदन
पर।

40.

धारा 154 और नियम

1600

4000

8000

1760

4400

8800

132 के अधीन पेटेंट
की
द्वितीय प्रति के
लिए

41 .

आवेदन पर।

धारा 72 के अधीन

1000

2500

5000

1100

2750

5500

प्रमाणित प्रतियों के लिए

(30 पृष्ठ तक

(30 पृष्ठ

(30 पृष्ठ

(30 पृष्ठ

(30 पृष्ठ

(30 पृष्ठ

या धारा 147 और नियम 133 के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध पर।

और उसके

तक और

तक और

तक और

तक और

तक और

पश्चात्

उस के

उसके

उसके

उसके

उसके

प्रत्येक

पश्चात्

पश्चात्

पश्चात्

पश्चात्

पश्चात्

अतिरिक्त

प्रत्येक

प्रत्येक

प्रत्येक

प्रत्येक

प्रत्येक

पृष्ठ के लिए

अतिरिक्त

अतिरि

			क्त		अतिरिक्त		अतिरिक्त		अतिरिक्त
		30)	पृष्ठ के		पृष्ठ के लिए		पृष्ठ के लिए		पृष्ठ के लिए
			लिए		लिए		लिए		लिए
			लिए		लिए		लिए		लिए
		75)							
				150)					
					30)				
						75)			150)
42.	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय	800	2000	4000	880	2200	4400		
	प्रतियों के प्रमाणन के लिए।								
43.	धारा 72 के अधीन	320	800	1600	352	880	1760		
	रजिस्टर के निरीक्षण, नियम 27 या नियम 74 (क) के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध								

पर									
44.	धारा 127, धारा 132	480	1200	2400	528	1320	2640		
	और धारा 153 और नियम 134 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध पर ।								
45.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार 26 के प्ररूप पर।	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	
46.	ऐसी याचिका पर जो	1600	4000	8000	1760	4400	8800		
	अन्यथा उपलब्ध नहीं है।								
47.	दस्तावेजों की फोटो प्रतियों	8	8						

48.

के प्रदाय के लिए प्रति
पृष्ठ।

अंतर्राष्ट्रीय
आवेदन के

लिए पारेषण
फीस ।

[भाग II-खण्ड 3 (1)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

49 .

पूर्विकता दस्तावेज़
की

प्रामाणिक प्रति तैयार करने

और उसे विश्व
बौद्धिक

सम्पदा संगठन
के

1000

2500

5000

1100

2750

5500

(30 पृष्ठ तक

(30 पृष्ठ

(30 पृष्ठ

(30 पृष्ठ

(30 पृष्ठ

(30 पृष्ठ

और उसके

तक और

तक और

तक और

तक और

तक और

पश्चात्

उसके

उसके

उसके

उसके

उसके

8

8

8

8

3200

8000

16000

3250

8800

17600 '

अंतर्राष्ट्रीय
ब्यूरो को

पारेषित करने के
लिए।

प्रत्येक

पश्चात्

पश्चात्

पश्चात्

पश्चात्

पश्चात्

अतिरिक्त

प्रत्येक

प्रत्येक

प्रत्येक

प्रत्येक

प्रत्येक

पृष्ठ के
लिए

अतिरिक्त

अतिरिक्त

अतिरिक्त

अतिरि
क्त

अतिरिक्त

30)

पृष्ठ
के

पृष्ठ के
लिए

| पृष्ठ के
लिए

पृष्ठ के
लिए

पृष्ठ के
लिए

लिए 75)

150)

30)

75)

150)

50.

धारा 146 (2) और नियम

27

कोई फीस

कोई फीस | कोई फीस

131 (1) के अधीन
भारत में

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

पेटेंट प्राप्त आविष्कार
के
वाणिज्यिक स्तर पर

कोई फीस

कोई
फीस

कोई फीस

9

कार्यकरण के संबंध
में
विवरण पर।

टिप्पण : सभी प्ररूप, आवेदन, अनुरोध, सूचना, अभ्यावेदन को अनुलिपि रूप में दाखिल किया जाना चाहिए, परंतु यह कि

नियमों में अन्यथा
विनिर्दिष्ट न हो।"

6.

मूल

नियम की दूसरी अनुसूची में, "प्ररूपों
की सूची" में -

(i) " प्ररूप संख्या 27", संख्या 7 के पश्चात्, निम्नलिखित
अंतःस्थापित किया जाएगा,

"7
क

धारा 25 (1) और नियम 55
(1)

अर्थात्:-

धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन
किसी पेटेंट अनुदत्त किए जाने का
विरोध करने के लिए आवेदन फाइल
करने के लिए। "

(ii) "प्ररूप संख्या 27 " के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया
जाएगा, अर्थात्:-

"28

नियम 2 (च क)
और 7

किसी लघु अस्तित्व द्वारा उस प्रत्येक
दस्तावेज़ के साथ फाइल जिसके
लिए फीस निर्दिष्ट है।"

7. मूल नियम की दूसरी
अनुसूची में, -

(i) प्ररूप 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया
जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप-7क

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

एवं

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट के मंजूर करने पर विरोध के लिए
अभ्यावेदन

[नियम 55
देखें]

868 40714-3

1.

नाम, पता और
राष्ट्रीयता

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

में /
हम.

-

द्वारा किए गए
दिनांक

[PART II-SEC. 30
]

को प्रकाशित

-की आवदेन संख्या -...

के संबंध में पेटेंट मंजूर करने के विरोध के माध्यम से अभ्यावेदन करता हूँ करते हैं।

—

लिए गए
आधार

and 2020

भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा
पता है

2.

एक के पश्चात्
दूसरे

आधार का उल्लेख।

3.

पूरा पता डाक सूचक
संख्या/कोड

सहित और राज्य
के

दूरभाष और

फैक्स नंबर के
साथ।

4.

विरोध करने वाले या उनकी या

हस्ताक्षर

उसके प्राधिकृत पंजीकृत
पेटेंट

अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित

किया जाय।

5.

प्रकृत व्यक्ति का नाम जिन्होंने

(-

हस्ताक्षर किया है

|

सेवा में,

नियंत्रक,

पेटेंट

पेटेंट

कार्यालय,

पता

—

-----)

(ii) प्ररूप 27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

1. नाम, पता और
राष्ट्रीयता

2. दस्तावेज़ का विवरण
दें।

“प्ररूप-28

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का
39)

एवं

पेटेंट नियम,
2003

किसी लघु अस्तित्व द्वारा दाखिल की
जाने वाली

[नियम 2 (चक) और
7 देखें]

मैं /
हम-

पेटेंट संख्या

आवेदक/ पेटेंटधारी
के संबंध में

अंतःस्थापित करें
पेटेंट आवेदन संख्या
/

यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैं/हम नियम 2 (च क) के अनुसार एक लघु अस्तित्व हैं/ हैं और सबूत के रूप
में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करता हूँ/ करते हैं।

(i) छोटे, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का साक्ष्य
(भारतीय अस्तित्व के संदर्भ
में)

[भाग II-खण्ड 3 (i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

3.

(ii) कोई अन्य दस्तावेज़ (विदेशी अस्तित्व के संदर्भ में)

आवेदक/पेटेंटी (पेटेंटीधारी) प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत यहाँ प्रदत्त सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के

पेटेंट अभिकर्ता द्वारा
हस्ताक्षरित
किया जाय।

4.

उस प्रकृत व्यक्ति का
नाम

जिन्होंने हस्ताक्षर
किया है

तारीख-

5.

जिस व्यक्ति ने
हस्ताक्षर
किया है उनका पदनाम और

शासकीय मुहर, यदि
कोई हो।

अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

सेवा में,
नियंत्रक,
पेटेंट

पेटेंट
कार्यालय,

पता

टिप्पण : लघु अस्तित्व होने का दावा करने के योग्य होने के लिए भारतीय अस्तित्व

ऊपर वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत

8.

मूल नियम की चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची
स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"चौथी
अनुसूची
[नियम 136 (1) का
उपबंध देखें]

प्रविष्टि
संख्यांक

मामला जिसके संबंध में लागत दी
जानी है

प्रकृत व्यक्ति
(व्यक्तियों
) के लिए

करें।"

या तो अकेले या प्रकृत
व्यक्ति (व्यक्तियों) के
साथ संयुक्त रूप में प्रकृत
व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न
व्यक्ति के लिए
लघु अस्तित्व
के लिए

लघु अस्तित्व
के
सिवाय अन्य
के लिए

1

2

3

4

5

1.

धारा 25, धारा 57, धारा 60, धारा 63, धारा 78, धारा 87
(2) या धारा 88(4) के अधीन विरोध की

2400

6000

12000

	सूचना के लिए।			
2.	धारा 84(1), धारा 91(1) या धारा 92 (1) के अधीन	1500	3000	6000
	अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के लिए।			
3.	धारा 88 (4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों	2400	6000	12000
	के पुनरीक्षण के लिए आवेदन के लिए।			
4.	नियम 62 (2) के अधीन सुनवाई के दौरान उपस्थित	1500	3000	6000
	रहने के आशय की सूचना के लिए।			
5.	जहाँ किसी पेटेंट अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को नियुक्त	वास्तविक रूप	वास्तविक रूप	वास्तविक रूप से
	किया गया है वहाँ मुखतारनामों के लिए स्टांप फीस या सुसंगत शपथ पत्रों के संबंध में स्टांप फीस	से संदत्त रकम	से संदत्त रकम	संदत्त रकम

6. नियम 57 के अधीन लिखित कथन या नियम 58 के
- 4000
- 4000
- 5000
- अधीन लिखित कथन या प्रत्येक शपथ पत्र, यदि सुसंगत हो, के लिए।
7. कार्यवाही में प्रस्तुत प्रकाशन के प्रत्येक दस्तावेज़, यदि
- 1600
- 1600
- 2000
- सुसंगत हो, के लिए।
8. प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ पत्र या प्रोद्धरण के
- 1600
- 1600
- 2000
- लिए।
9. नियंत्रक के समक्ष प्रत्येक दिन या आंशिक दिन की सुनवाई के लिए।
- 4000
- 4000
- 5000".

[फा. सं. 14/6/2012- आई. पी. आर. -III]

डी. बी. प्रसाद,
संयुक्त सचिव

पादटिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 493 (अ) तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया -

- (1) का. आ. 1418 (अ) तारीख 28 दिसम्बर, 2004
- (ii) का. आ. 657 (अ) तारीख 5 मई, 2006;

(iii) का. आ. 2296 (अ) तारीख 25 सितम्बर,
2012

(iv) का. आ. 1029 (अ) तारीख 23 अप्रैल,
2013

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February,
2014

G.S.R. 125(E).— Whereas certain draft rules, namely the Patents (Amendment) Rules, 2013 were published as required under sub-section (3) of Section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), number G.S.R. 286(E), dated the 6th May, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 6th May, 2013, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing the notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 12th June, 2013;

And whereas, the objections and the suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely:-

1.

(1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2014.

2.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In rule 2 of the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(i) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(da)" person other than a natural person" shall include a
"small entity"

(ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

(i) in case of an enterprise engaged in the manufacture or production of goods, an enterprise where the investment in plant and machinery does not exceed the limit specified for a medium enterprise under clause (a) of sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006); and

3.

4.

II-खण्ड 3(1)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

13

(ii) in case of an enterprise engaged in providing or rendering of services, an enterprise where **the** investment in equipment is not more than the limit specified for medium enterprises under clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006,

Explanation 1. - For the purpose of this clause, "enterprise" means an industrial undertaking or a business concern or any other establishment, by whatever **name called**, engaged in the manufacture or production of goods, in any manner, pertaining to any industry specified in the First Schedule to **the** Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) or **engaged** in providing or rendering of any service or **services** in such an industry.

Explanation 2. In calculating **the investment** in plant and machinery, the cost of pollution control, **research** and development, industrial **safety** devices and such other things as may be **specified by notification** under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), **shall** be **excluded**.

Explanation 3. – The **reference** rates of foreign **currency** of the Reserve Bank of India shall prevail.'

In rule 7 of the principal rules,

-

(i) after sub rule (1), the following **provisos shall** be inserted,
namely:-

"**Provided that ten per cent additional fee shall be payable when** the applications for **patent and** other documents are filed through **physical** mode, namely, in hard **copy** format:

Provided further **that in** the case of a small **entity**, every document, for **which a fee** has been specified, **shall** be accompanied by Form-28."

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted,
namely:---

“(3A) In case an application processed by a small entity is fully or partly transferred to a person other than a natural person (except a small entity), the difference, if any, in the scale of fee(s) between the fee(s) charged from a small entity and the fee(s) chargeable from the person other than a natural person (except a small entity) in the same matter shall be paid by the new applicant with the request for transfer.”;

In sub- rule (1) of rule 55 of the principal rules, after the words "shall be filed", the words, figure, brackets and letter "in Form 7 (A)" shall be inserted.

5. For the First Schedule to the principle rules, the following Schedule shall be substituted,
namely :---

“THE FIRST SCHEDULE

(See rule 7)

FEES

For e-filing

For physical
filing

Number

Number of
the

of entry On what
payable

relevant

Form

For
natural
person
(s)

For person other
than natural
person(s) either
alone or jointly
with natural
person(s)

For natural
person (s)
with ten
per

For person other
than natural
person(s)

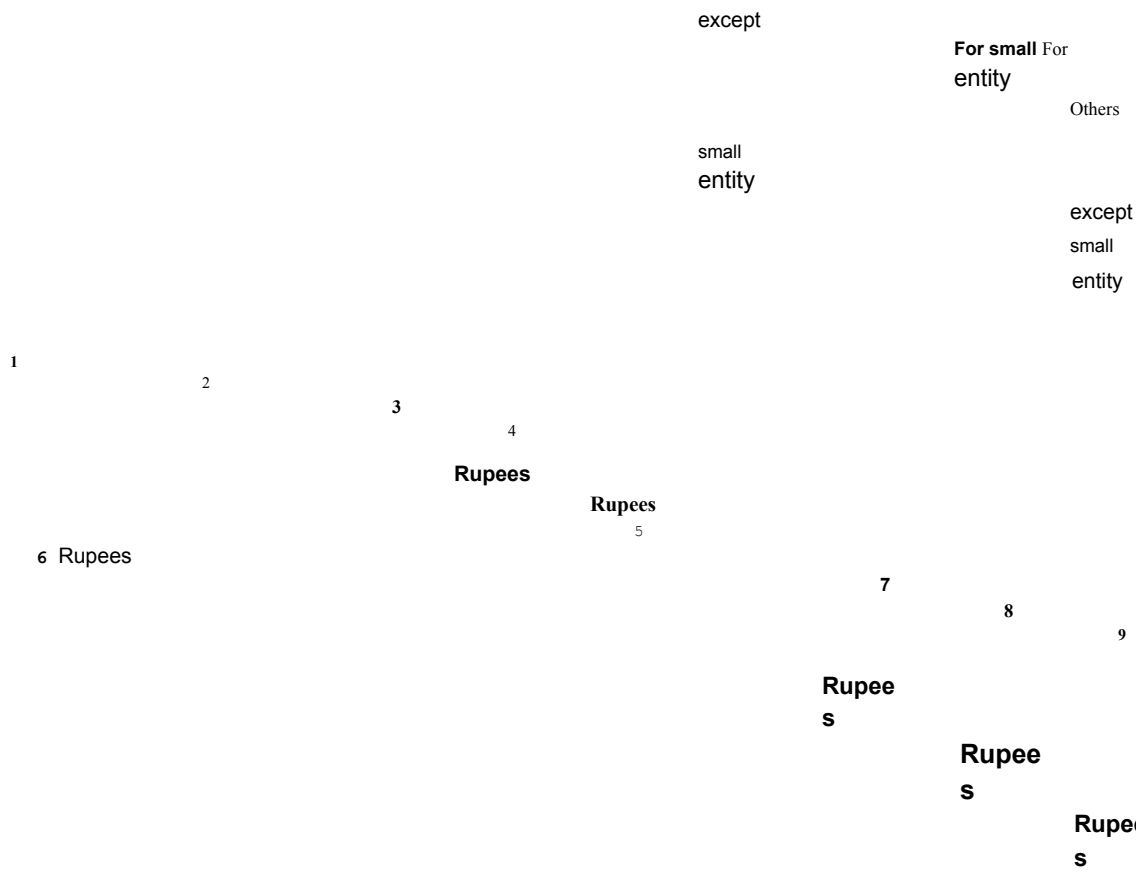
either alone or jointly with natural person

cent
additional

(s) with ten per cent
additional fee.

fee

For small For others
entity



868 46714-4

14	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II-SEC. 3(i)]
1.	On application for a patent	
	1	1600
		4000
		8,000
		1760
		4400
		8,800
	under sections 7, 54 or	
135 and rule 20(1)	accompanied by	
	provisional or	

complete
specification-

Multiple Multiple of 4000 of **8,000**

[Multiple
of 1600 in

Multiple
of 1760 in

Multiple Multiple
of **4400**
of **8,800**

case of
every

every
in case of (in **case of**
every

case of

in **case of**

in case of

every

every

every

**multipl
e**

multiple multiple

multiple

multiple **multiple**

priority.

priority. priority

priority.

priority. priority.

(1) for **each sheet**
of

(i) 160

(i) 400

(800

(i) 176

specification in addition to

[(i) 440

(i) 880

30;

(ii) for each claim in

(ii) 320

(ii) 800

(ii) 1,600 (ii) 352

(ii) 880

(ii) 1760

addition to 10.

On filing complete

2.

specification after

2

No fee

No **fee**

			No fee	No fee	No fee	No fee
	provisional upto 30 pages having up to 10 claims-					
	(i) for each sheet of	((1) 160				
		(i) 400				
		(i) 800		(i) 176	(i) 440	(i) 880
	specification in addition to 30;	(ii) 320	(ii) 800 (ii) 1,600	(ii) 352	(H) 880 (ii) 1760	
	(ii) for each claim in addition to 10.					
3.	On filing a statement and undertaking under	3	No fee	No fee	No fee	No fee
			No fee	No fee	No fee	No fee
	section 8.					
4.	On request for extension of time under sections 53(2) and 142(4), rules 13(6), 80(1 A) and 130.	480	1200	2400	528	1320
		per	per	per	per	per
						2640

			month		month		per
		month				month	month
					month		
5.	On filing a declaration as	5	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
	to inventorship under rule						No fee
	13(6).						
6.	On application for						
	postdatin						
	g.	800	2000	4000	880	2200	4400
7.	On application for						
	deletion of reference under	800	2000	4000	880	2200	4400
	section 19 (2).						
8.	((1) On claim under						
	section	6	800	2000	4000	880	2200
	20(1);						4400
	(ii) On request for						

800

4000

880

2200

4400

(5).

भारत का राजपत्र : असाधारण

9.

7A

No fee

No **fee**

No **fee**

No fee

No fee

No **fee**

(ii) On notice

of opposition to grant
of

patent under section 25(2).

7

2400

6000

12000

2640

6600

13200

[On giving **notice**
that

10.

**hearing before
Controller**

1500

3750

7500

1650

4125

8250

shall be attended under
rule 62(2).

On application
under

11.

sections **28(2), 28(3) or**

		8	800	2000	4000	880	2200	4400
	28(7).							
	Request for publication							
12.	under section 11A(2) and	9	2500	6250	12500	2750	6875	13750
	rule24A.							
	Application for							
13.	withdrawing the		1600	4000	8000	1760	4400	8800
	application under section 11B(4) and rule 26(1) before publication of the application							
	On request for							
14.	examination of application for patent-	18	4000	10000	20000	4400	11000	22000
	(a) under section 11B and rule24(1);							

5600 14000 28000 6160 15400 30800

(b) under rule 20(4)(ii).

On application under section 44

15. 10 2400 6000 12000 2640 6600 13200

for amendment of patent.

On application for directions under section

16. 11 2400 6000 12000 2640 6600 13200

51(1) or 51(2).

16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II-SEC. 3(i)]

17. On request for grant of a patent under sections 26(1) and 52(2).

12 2400 6000 12000 2640 6600 13200

On request for converting a

18.

patent of addition to
an

2400
6000
12000
2640
6600
13200

independent patent
under
section 55 (1).

19.

For **renewal of a patent**
under **section 53-**

0

before the expiration
of
the 2nd year
from the

800
2000
4000
880
2200
4400

date of patent in
respect
of 3rd
year;

(ii)

before the expiration
of
the 3rd year in
respect of

800
2000
4000
880
2200
4400

the 4th year;

(iii)

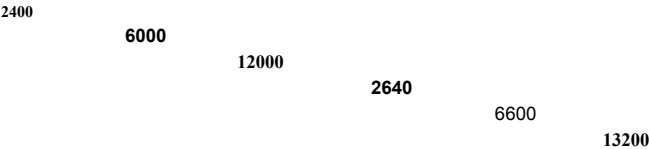
before the expiration
of
the 4th year in
respect of

		800	2000	4000	880	2200	4400
	the 5th						
	year;						
(iv)	before the expiration of						
	the						
	5th						
	year						
	in respect of						
		800	2000	4000	880	2200	4400
	the 6th						
	year;						
(v)	before the expiration						
	of						
	the 6th						
	year in respect						
	of						
	the 7th						
2		2400	6000	12000	2640	6600	13200
	year;						
(vi)	before the expiration						
	of						
	the 7th						
	year						
	in respect of						
	the						
	8th						
		2400	6000	12000	2640	6600	13200

year;

(vii)

before the expiration of
the 8th year in respect of the
9th year;



(viii)

before the expiration of
the 9th year in respect
of
the 10th
year;



(ix)

before the expiration of
the 10th year in
respect
of the 11th
year;

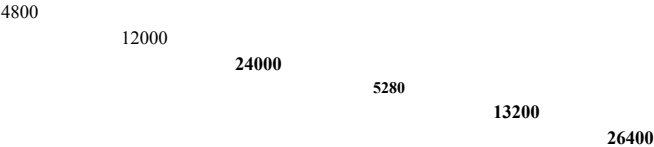


[भाग II-खण्ड 3(1)]

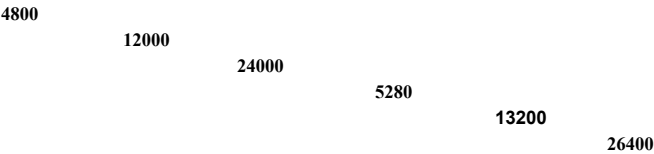
भारत का राजपत्र : असाधारण

(x)

before the expiration of the 11th
year in respect of the
12th
year;

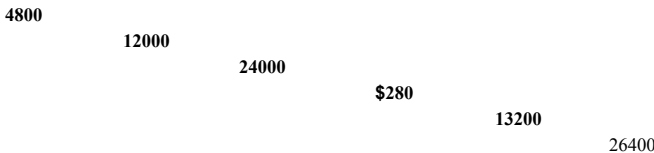


(xi) before the expiration of
the 12th year in
respect
of the **13th**
year;



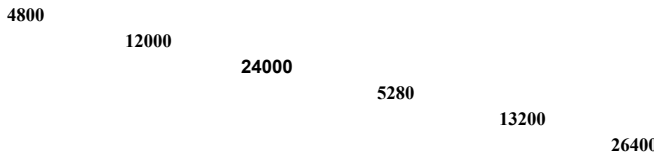
(xii) **before the** expiration
of
of the
14th
the 13th
Year

in respect



year;

(xiii) before **the** expiration
of
the 14th year in
respect
of **the 15th**
year;



(xiv) before the **expiration** of
the 15th year in
respect
of the

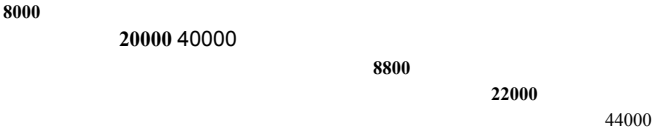
16th



year;

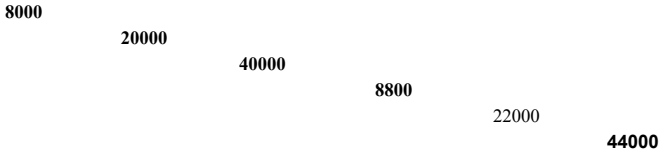
(xv)

before the expiration of
the 16th year in
respect
of the 17th
year;



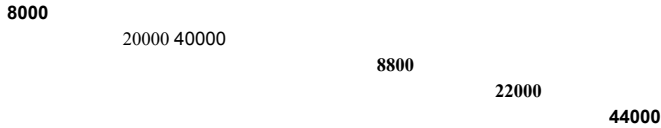
(xvi)

~~before~~ the expiration of
the 17th year in
respect
of the 18th
year;



(xvii) **before** the expiration
of

the 18th year in
respect
of the 19th
year;



(xviii) before **the expiration of**
the 19th year in
respect
of the **20th**
year.

		8000	20000	40000	8800	22000	44000
20.	On application for amendment of application for patent or complete specification or other related documents under section 57-er	13					
(1)	before grant of patent;	800	2000	4000	880	2200	4400
(ii)	after grant of patent;	1600	4000	8000	1760	4400	8800
(iii)	where amendment is for changing name or address or nationality or address	320	800	1600	352	880	1760
	for service.						

868 cro714-5

21.	On notice of opposition to an application under sections 57(4), 61(1) and	14	2400	6000	12000	2640	6600	13,200
	[87(2) or to surrender a patent under section 63(3) or to a request under section 78(5). On application for							
22.	restoration of a patent	15	2400	6000	12000	2640	6600	13,200
	under section 60. Additional fee for							
23.	restoration.		4800	12000	24000	5280	13200	26400
	[On notice of offer to							
24.	surrender a patent under		1000	2500	5000	1100	2750	\$500
	section 63.							
25	On application for the entry in the register of	16	1600	4000	8,000	1760		

register of patent
agent
under **rules 94(1)** or rule
118(1).

On request for **entry of**

27.

an **additional address for**

800

2000

4000

880

2200

4,400

service in **the Register of
Patents** under **rule 94(3)**.

On application for

28.

compulsory license
under

17

2400

6000

12000

2640

6600

13200

sections **84(1)**, **91
(1)**,
92(1) and **92A**.

On **application**
for

29.

revocation of a patent

19

2400

6000

12000

2640

6600

13200

under section **85(1)**.

[भाग II खण्ड 3 (i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

On application for

30.

Revision of terms and

20

2400

6000

12000

2640

6600

13200

conditions of licence

	under section 88(4) .								
	On request for termination								
31.	of compulsory licence	21	2400	6000	12000	2640	6600	13200	
	under section 94 .								
	On application for								
32.	registration as a patent	22	3200			3520			
	agent under rule 109 (1) or 112.								
	On request for appearing								
33.	in the qualifying		1600			1760			
	examination under rule 109(3) .								
	For continuance of the								
34.	name of a person in the register of patent agent- (i) for the 1* year to be		800			880			
	paid along with registration; (ii) for every year excluding the 1st year to be paid on the 1st April in		800						

each **year**.

On application, for

35.

duplicate certificate of

1600

patent **agent**
under
rule 111A.

On application for

36.

restoration of

23

the name of a person
in

theregister of
patent

agents **under rule**
117(1).

On a request for
correction

37.

of clerical error **under**
section **78(2).**

1760

1600 (Plus **continuation** fee under.

entry
number **34)**

1760 (Plus continuation

fee under

entry
number **34)**

800

2000

4000

880

2200

4400

38.	On application for review or setting aside the	24	1600	4000	8000	1760	4400	8800
	decisions or order of the controller under section 77(1) (f) or 77(1) (g).							
39	On application for permission for applying	25	1600	4000	8000	1760	4400	8800
	patent outside India under section 39 and rule 71(1).							
40	On application for duplicate patent under		1600	4000	8000	1760	4400	8800
	section 154 and rule 132.							
41	On request for certified							

copies under section 72

1000

2500

5000

1100

2750 5500

or for certificate under section 147 and rule 133.

(up to 30

(up to 30

(up to 30

(up to 30

(up to 30 | (up to 30

pages and,

thereafter,

page s and,

pages and,

pages and,

30 for each

thereafter, thereafter,

thereafter, 30 for each

pages and,

pages and,

thereafter, thereafter,

extra page)

75 for each extra

page)

150 for each extra page) thereafter)

extra page)

75 for

150 for

each extra

each

page)

page)

thereafter
)
extra

For certifying
office

42

copies, printed
each.

800

2000

4000

880

2200

4400

43

On request for inspection

320

800

1600

352

880

1760

**of register under
section
72, inspection under
rule
27 or rule 74A.**

On request **for**
information

44

under **sections 127, 132**

480

1200

2400

528

1320

2640

and 153 and rule135.

On **form of** authorisation

45

of patent agent.	26	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
------------------	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

On petition not otherwise provided for.	46	1600	4000	8000	1760	4400	8800
--	----	------	------	------	------	------	------

[भाग II - खण्ड 3 (1)

1

For supplying of photocopies of the documents per page.	47						
				8		8	8
							21

Transmittal fee for International application.	48	3200	8000	16000	3250	8800	17600
For preparation of		1000	2500	5000	1100	2750	5500

भारत का राजपत्र : असाधारण

49

certified copy of priority

(up to
30

(up to
30

(up to
30

(up to 30

(up to 30

|
(up to
30

document **and** for

pages and,

pages
and,

pages
and,

pages and,

pages
and,

transmission of the same

thereafter, thereafter, **thereafter**,

thereafter,

to **the** International Bureau

30 for each **175** for **150** for

30 for each

thereafter

, 75 for

pages
and,
thereafter,

of World Intellectual
Property Organisation.

extra page) **each** extra each extra extra page) each extra
150 for

page)

page)

page)

each
extra
page)

50

On statement
regarding
working of a patented

27

No **fee**

No **fee**

No **fee**

No fee

No fee

No fee

invention **on a commercial**
[scale in India under
section **146(2) and rule**
131(1)).

Note:

All the Forms, Applications, Requests, Notices and Petitions shall be filed in duplicate unless otherwise
specified in the rules.

6. In the Second Schedule to the principle **rules, in the "LIST OF FORMS"**-

(i) after "Form No. 7", **the** following shall be inserted, **namely**
:----

*7A.

Section **25(1)** and **rule 55 (1)**

**For filing a representation opposing grant of
a patent under sub-section (1) of section
25."**

(ii) **after "Form No. 27", the** following shall be inserted,
namely:----

"28.

Rules 2(fa) and 7

To be submitted by **a small entity** with
every document for which a **fee has** been
specified".

7. In **the** Second Schedule to the principle
rules,-

(i) **after** Form 7, the following **Form** shall be inserted, **namely:-**

868 567 14-6
की

"FORM 7A

THE PATENTS ACT, 1970 (39 OF 1970)

AND

THE PATENTS RULES, 2003

REPRESENTATION FOR OPPOSITION TO GRANT OF PATENT

1. State names, address and
nationality.

2. **State the** grounds taken one
after
another.

3. Complete address including postal
index **number/code and state**
along

with telephone and fax
number.

4. To be **signed by the** opponent **or**
by his/her
authorized **registered patent**
agent.

[**sce** rule
55]

I/We.....

[PART II-SEC. 3(i)]

hereby give representation by **way** of opposition to
the grant of **patent in** respect **of** application

no..

...dated...

by..... and published

on

on the

grounds

My/our **address for service in** India

is

5. Name and **designation** of the **natural person** who has
signed.

**Signatur
e**

(.....

.....)

made

To

The Controller of Patents,

The Patent Office,

At

(i) after Form 27, the following **Form** shall be inserted, namely:

"FORM 28

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

AND

THE PATENTS RULES, 2003

TO BE SUBMITTED BY A **SMALL ENTITY**

Insert name, **address and**
nationality.

[**See** rules 2(fa) and
7]

I/We

applicant/**patentee in respect** of the patent application
..or patent no.....* *

no

hereby declare that I/we am/are a small entity in
accordance with **rule** 2(fa) and submit the following
document(s) as proof:

भाग 11 - खण्ड 3

(1)]

State the particulars of the

documents.

भारत का राजपत्र : असाधारण

To be signed by the applicant(s) / patentee (s)/
authorised registered patent agent.

Name of the natural person who has
signed.

Designation and official seal, if any, of the
person who has signed.

23

(1.) Evidence of registration under the Micro, Small and
Medium Enterprises Act, 2006 (27 of 2006 (in case of
Indian entities).

(ii.) Any other document (in **case of** foreign entities). The
information provided herein is correct to the best of
my/our knowledge and belief.

Dated thisday of

Signature (**Name**) (Designation)....

20...

To

The Controller of Patents,

The Patent **Office**,

At.....

Note: Indian entities **shall** submit the evidence **mentioned** above to be eligible for claiming the **status** of a small
entity."

8. **For** the Fourth **Schedule** to the principle rules, the following Schedule shall be
substituted, namely :-

"THE FOURTH SCHEDULE

[See proviso to rule **136(1)**]

Number

of entry	Matter in respect of which cost to be awarded	Amount in fees (in rupees)		
		For natural person(s)	For person other than natural person(s) either alone or jointly with natural person (s)	For small entity
1	2	3	4	5
1	For notice of opposition	2400	6000	12000
	under sections 25, 57, 60, 63, 78, 87(2) or 88(4).			
2	For application for compulsory licence under sections 84(1), 91(1) or 92(1).	1500	3000	6000
3	For application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4) .	2400	6000	12000
	For notice of intention to	1500	3000	6000

H

24

5

attend **the hearing** under
rule 62(2).

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Stamp fee for power of
attorney where a patent
agent or other person has
been appointed or
stamp fee in respect of
relevant affidavits.

[PART II-SEC. 30]

The amount actually paid. The amount actually paid. The amount
actually
paid.

For written **statement**

4000

4000

5000

under rule 57 or reply
statement under rule 58 or
for **each** affidavit, if
relevant.

7

For each document of

1600

1600

2000

publication produced in
the proceedings, if
relevant

8

For each unnecessary or
irrelevant affidavit or

1600

1600

2000

citation.

For every **day or part**
day

4000

4000

5000".

of hearing before **the**

Controller.

[F.No. 14/6/2012-IPR-III]
D.V. PRASAD, Jt. Secy.

Footnote:- The **principal rules** were **published in the Gazette of India** *vide* notification number S.O,**493** (E), dated the

2nd May, 2003, and subsequently amended ***vide*** notification number -

- (i) S.O.1418 (E), **dated the 28th** December, 2004;
- (ii) S.O. 657 (E), **dated the 5th May, 2006;** and
- (iii)S.O. 2296 (E), dated the 25th September, 2012. (iv)S.O. 1029 (E), **dated 23rd** April, 2013.